स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
शक्तियों का प्रत्यायोजन
(1.3.1995 से प्रभावी)

अनुसूची – ए (1): व्यापार और व्यवसाय मामले (कार्पोरेट कार्यालय)

प्राधिकारी **शक्तियों का विस्तार** **टिप्पणियाँ**

----

1. **सरकारी लेखे पर व्यापार सहित सरणीबद्ध आयात /निर्यात**

सीओएम	पूर्ण शक्तियाँ
निदेशक, निदेशक (वित्त) सहित	रूपए 3 करोड़ तक
मुख्य महा प्रबंधक	रूपए 1 करोड़ तक
मुख्य विपणन प्रबंधक	रूपए 75 लाख तक

2. **एसोसिएट से बैकअप ऑफर्स आधार पर ऑफर्स करने / व्यवसाय सम्पन्न करने के लिए असरणीबद्ध निर्यात**

सीओएम	पूर्ण शक्तियाँ
निदेशक	रूपए 10 करोड़ तक
मुख्य महा प्रबंधक	रूपए 3 करोड़ तक
मुख्य विपणन प्रबंधक	रूपए 2 करोड़ तक

3. **एसोसिएट से बैकअप ऑफर्स या स्वदेशी खरीद आदेश या बैकअप स्टॉक्स के बगैर ऑफर्स करने / व्यवसाय सम्पन्न करने के लिए असरणीबद्ध निर्यात**

सीओएम	पूर्ण शक्तियाँ
निदेशक	रूपए 5 करोड़ तक (1)
मुख्य महा प्रबंधक	रूपए 3 करोड़ तक (1)
मुख्य विपणन प्रबंधक	रूपए 50 लाख तक(1)
	किसी वस्तु हेतु किसी समय बकाया

4. तटेतर व्यापार

सीओएम पूर्ण शक्तियाँ)
निदेशक रूपए 10 करोड़ तक)अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार
मुख्य महा प्रबंधक रूपए 3 करोड़ तक)

5. क. असरणीबद्ध * आयात / बिक्रियाँ (2)

सीओएम पूर्ण शक्तियाँ)
निदेशक रूपए 5 करोड़ तक) सम्पूर्ण लाभप्रदत्ता के अधीन
मुख्य महा प्रबंधक रूपए 1 करोड़ तक)

ख. असरणीबद्ध * आयात / बिक्रियाँ – सोना और चाँदी (4)

सोना / चाँदी आयात समिति) एक दिन में रूपए 75 करोड़ तक । इस
जिसमें: निदेशक (सोना),) सीमा से अधिक के मामले सीओएम के
निदेशक – प्रभारी (वित्त),) समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।
मुख्य महा प्रबंधक(सोना) और)
मुख्य महा प्रबंधक(वित्त) शामिल हैं ।)

6 स्वदेशी मदों की खरीद/बिक्री

सीओएम पूर्ण शक्तियाँ
निदेशक रूपए 3 करोड़ तक (1)
मुख्य महा प्रबंधक रूपए 2 करोड़ तक (1)) सम्पूर्ण लाभप्रदत्ता के अधीन
मुख्य विपणन प्रबंधक रूपए 50 लाख तक(1)

* निजी पार्टियों से प्राप्त विशिष्ट मांगपत्रों पर ओजीएल के अधीन खाद्य तेलों की खरीद हेतु शक्तियाँ परिपत्र संख्या 155 दिनांक 3.2.1998 में संलग्न रूप में दी गयी हैं ।

7. (क) **आयातित कारों की खरीद**

मुख्य विपणन प्रबंधक पूर्ण शक्तियाँ विदेशी मामलों के मंत्रालय द्वारा मार्गनिर्देशों के अनुसार

(ख) आयातित कारों की बिक्री, हानि को शामिल ना करते हुए

मुख्य विपणन प्रबंधक पूर्ण शक्तियाँ

(ग) आयातित कारों की बिक्री, हानि को शामिल करते हुए

निदेशक पूर्ण शक्तियाँ

8. **निर्यात हानि को शामिल न करते हुए**

सीओएम पूर्ण शक्तियाँ

निदेशक, निदेशक(वित्त सहित) रूपए 10 लाख तक

9. **क्षतिग्रस्त /खराब / अधिशेष स्टॉक का विक्रय**

सीओएम	पूर्ण शक्तियाँ	) निम्नलिखित के
निदेशक	पूर्ण शक्तियाँ	) अधीन:-
मुख्य विपणन प्रबंधक	रूपए 3 करोड़ तक खुली निविदाओं के मामलेमें (बिक्री मूल्य) बिक्री मूल्य रूपए 10 लाख तक) सीमित निविदाओं के मामले में (बिक्री मूल्य)	)- निदेशक द्वारा) अधिशेष के रूप में अनुमोदित स्टॉक या सर्वेक्षक द्वारा) क्षतिग्रस्त/ खराब) के रूप में सत्यापित स्टॉक - अधिशेष स्टॉक की बिक्री में खरीद कीमत पर कोई हानि न होना । - बिक्री उच्चतम निविदाकर्ता को किया जाना । सरकारी र्निदेशों के अनुसार सरकारी लेखों पर रखे गए स्टॉक हेतु ।

10. व्यापार मार्जिन सुनिश्चित करना

सीओएम	पूर्ण शक्तियाँ	अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार
निदेशक	पूर्ण शक्तियाँ	

11. निर्यात नमूनों पर खर्चे

सीओएम	पूर्ण शक्तियाँ
निदेशक	रूपए 50 हजार तक
मुख्य महा प्रबंधक	रूपए 20 हजार तक
मुख्य विपणन प्रबंधक	रूपए 10 हजार तक

12. भारत में आपूर्तिकर्ताओं का नामांकन / रद्दीकरण

मुख्य विपणन प्रबंधक पूर्ण शक्तियाँ अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार

13. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का नामांकन / रद्दीकरण

निदेशक पूर्ण शक्तियाँ अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार

14. भारत या विदेश में विक्रय एजेंटों की नियुक्ति / रद्दीकरण और कमीशन का भुगतान

(क) सौदा – दर – सौदा आधार पर

मुख्य विपणन प्रबंधक पूर्ण शक्तियाँ ओवरसीज कमीशन आरबीआई मार्गनिदेशों के अनुसार होगा।

(ख) सुनिश्चित अवधि आधार पर(एकल विक्रय एजेंटों के अलावा)

सीओएम	पूर्ण शक्तियाँ	) कमीशन बगैर किसी
निदेशक	किसी समय 3 वर्ष तक	) दावे के पूर्ण भुगतान
मुख्य महा प्रबंधक	भारत में किसी समय 3 वर्षों तक	) की वसूली के बाद ही दिया जाएगा ।

परिपत्र संख्या 159 दिनांक 5.1.99 द्वारा संशोधित किया गया

15 क. शिपिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, भंडारण, पैकिंग, बैगिंग, फारवर्डिंग, क्लीयरिंग, सर्वेक्षण, स्टीवडरिंग, ओसियन फ्रेट बुकिंग, क्लेम रिकवरी, प्रोसेसिंग, टिनिंग, परीक्षण, श्रम, आदि हेतु एजेंटों / ठेकेदारों की नियुक्ति और इस प्रकार की व्यवस्थाओं का रद्दीकरण ।

निदेशक, निदेशक (वित्त) सहित पूर्ण शक्तियाँ

निदेशक विदेश में किसी एक समय 2 वर्ष तक

मुख्य महा प्रबंधक भारत में किसी समय 3 वर्षों तक

मुख्य विपणन प्रबंधक भारत में किसी समय 2 वर्षों तक

ख. संविदा की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त (ए) के अधीन एजेंटों / ठेकेदारों आदि को भुगतान ।

मुख्य विपणन प्रबंधक	पूर्ण शक्तियाँ
विपणन प्रबंधक	रूपए 1 लाख तक
उप विपणन प्रबंधक	रूपए 50 हजार तक

16. क. की गयी ऑफर्स के अनुसार संविदाओं पर हस्ताक्षर करना

ख. की गयी ऑफर्स या हस्ताक्षर की गयी संविदाओं के अनुसार निविदा बांड / निष्पादन बांड / क्षतिपूर्ति बांड की स्थापना

ग. संविदा के अनुसार खरीददार की एलसी की स्वीकृति, एलसी की सुपुर्दगी

घ. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार अन्य संविदाओं / करारों पर हस्ताक्षर करना ।

मुख्य विपणन प्रबंधक	पूर्ण शक्तियाँ
विपणन प्रबंधक	रूपए 3 करोड़ तक
उप विपणन प्रबंधक	रूपए 1 करोड़ तक

17. क. संविदाओं में संशोधन

वही प्राधिकार जो संविदा सम्पन्न करने के लिए प्राप्त हैं	पूर्ण शक्तियाँ

ख.(3) सभी मामले पोतलदान अवधि में बढ़ोतरी और बीजी की प्रस्तुति में विलम्ब में छूट देने सहित जिनमें कार्पोरेशन पर कोई वित्तीय दायता न हो, सहित ।

निदेशक, (विपणन) पूर्ण शक्तियाँ

18. संविदा के अनुसार भुगतान (एलसी द्वारा भुगतान सहित)

मुख्य विपणन प्रबंधक	पूर्ण शक्तियाँ
विपणन प्रबंधक	रूपए 3 करोड़ तक
उप विपणन प्रबंधक	रूपए 1 करोड़ तक

19. जिसमें सौदे के पश्चात एलसी खोलने की प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी हो किन्तु औपचारिक संविदा पर वास्तव में हस्ताक्षर किये जाने से पहले ।

मुख्य महा प्रबंधक	पूर्ण शक्तियाँ	संविदा की शर्तों और नियमों पर सक्षमप्राधिकारी का अनुमोदन होना चाहिए

20. इस अनुसूची में विशिष्ट रूप से उल्लेख की गयी उन मदों को छोड़कर कार्पोरेशन द्वारा देय बीमा प्रीमिया, सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार, चुंगी, परिवहन प्रभार, भंडारण और हैण्डलिंग प्रभार, शुल्क और अन्य प्रभार आदि का भुगतान ।

मुख्य विपणन प्रबंधक	पूर्ण शक्तियाँ)	बीमा कवर की व्यवस्था
विपणन प्रबंधक	रूपए 1 लाख तक)	कार्पोरेट कार्यालय में
उप विपणन प्रबंधक	रूपए 50 हजार तक)	कार्पोरेट कार्यालय / शाखाओं के प्रभागों की मांगों के अनुसार की जाएगी । बीमा प्रीमिया के संबंध में शक्तियाँ बीमा प्रभाग में संबंधित प्रबंधकों द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी ।

21. खाद्य तेलों के भंडारण हेतु कंटेनर की खरीद सहित व्यापार के आकस्मिक खर्चे ।

निदेशक,	पूर्ण शक्तियाँ
मुख्य महा प्रबंधक	रूपए 10 लाख तक
मुख्य विपणन प्रबंधक	रूपए 5 लाख तक

22. रूटीन क्षतिपूर्ति / गारंटी / निविदा – बांड्स (व्यापार के आकस्मिक)

मुख्य विपणन प्रबंधक पूर्ण शक्तियाँ (निविदा बांड्स केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संविदाओं / ऑफर्स के संबंध में ही सम्पन्न किए जाएंगें ।)

23. **स्वबीमा का निपटान**

मुख्य विपणन प्रबंधक,(एसआईएस) पूर्ण शक्तियाँ

24. दावों के कम्पाउंडिंग / निपटान (लिक्विडेटिड क्षतियों के अलावा) जिनमें किसी कर्मचारी की लापरवाही शामिल न हो ।

निदेशक	पूर्ण शक्तियाँ
मुख्य महा प्रबंधक	पूर्ण शक्तियाँ (जहाँ तीसरी पार्टी से वसूली योग्य हों)

25. विलम्ब शुल्क / हानियाँ / बचाए जा सकने वाले खर्चे जो चोरी / जालसाजी / लापरवाही के कारण न हों ।

निदेशक	पूर्ण शक्तियाँ
मुख्य महा प्रबंधक	रूपए 5 लाख तक
मुख्य विपणन प्रबंधक	रूपए 1 लाख तक

26. संविदा में प्रदत्त लिक्विटेडिट क्षतियों का परित्याग

सीओएम पूर्ण शक्तियाँ
निदेशक 10 प्रतिशत तक रूपए 10 लाख की सीमा के अधीन)
मुख्य महा प्रबंधक 10 प्रतिशत तक रूपए 50 हजार की सीमा के अधीन) विधि के
मुख्य विपणन प्रबंधक 10 प्रतिशत तक रूपए 20 हजार की सीमा के अधीन) परामर्श से

27. बैड डेब्टस हानियों को बट्टे खाते में डालना

सीओएम पूर्ण शक्तियाँ अध्यक्ष (5) के पास निहित शक्तियों से अधिक नहीं
निदेशक, निदेशक (वित्त) सहित रूपए 1 लाख तक
मुख्य महा प्रबंधक रूपए 5 हजार तक

28. निर्यात हेतु व्यवसाय एसोसिएट्स को ऋण / पेशगियाँ (सुरक्षा पर)

निदेशक रूपए 50 लाख तक) ऋण एवं पेशगियाँ
मुख्य महा प्रबंधक रूपए 25 लाख तक) कार्पोरेशन के निर्यात
महा प्रबंधक रूपए 15 लाख तक) रखरखाव / संवर्द्धन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमोदित शर्तों के अन्तर्गत प्रदान किए जाएंगे ।
मुख्य विपणन प्रबंधक रूपए 5 लाख तक) इस प्रकार के ऋण और पेशगियों की बकाया अधिकतम राशि किसी भी समय रूपए 25 करोड़ से अधिक न हो ।

29. बिल विपणन योजना

निदेशक पूर्ण शक्तियाँ) ऋण सुविधा का विस्तार
मुख्य महा प्रबंधक रूपए 20 लाख तक अधिकतम) निम्नलिखित के अनुसार:
रूप से 90 दिनों के लिए) – बोर्ड द्वारा अनुमोदित बिल विपणन योजना के अनुसार
- किसी राष्ट्रीकृत वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित बैंक या किसी अन्य प्रथम श्रेणी के बैंक द्वारा खोले गए ऋण पत्र / गारंटी पर सिक्योरड आधार पर।

30. क. बैंक एकाउंट खोलना

मुख्य महा प्रबंधक(वित्त) पूर्ण शक्तियाँ

ख. बैंक एकाउंट का प्रचालन

मुख्य महा प्रबंधक(वित्त) एक व्यक्ति के कार्यालय के मामले में
किन्हीं 2 प्रबंधकों को संयुक्त बैंक लेखा मु.महा प्र.(वित्त) के
प्राधिकृत

रूप से लेखा प्रचालन के लिए प्राधिकृत करने की पूर्ण शक्तियाँ	के अनुसार प्रचालित किया जाए ।

31.पूंजीगत खर्चे – मूल कार्य

निदेशक, निदेशक (वित्त) सहित	रूपए 2 लाख तक	- बैंक को एलसी खोलने, बिलों की स्वीकृति, बैंक गारंटी की स्थापना और ईपीसी / पीसीएफसी प्राप्त करने से संबंधित अनुदेशों पर संयुक्त रूप से व्यापार और वित्त प्रभागों में से प्रत्येक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

32.तकनीकी और विपणन सहयोग
जिसमें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता न हो ।

सीओएम पूर्ण शक्तियाँ

33.परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों, डिजायनर्स आदि की नियुक्ति

सीओएम पूर्ण शक्तियाँ

34.मार्गनिर्देशों के अनुसार अधिशेष निधियों का निवेश

बोर्ड पूर्ण शक्तियाँ

• निदेशक प्रभारी (वित्त) एक समिति के परामर्श से जिसमें मुख्य महा प्रबंधक(वित्त), महा प्रबंधक(वित्त) / मुख्य वित्त प्रबंधक शामिल हों ।	91 दिनों से अनाधिक की अवधि के लिए रूपए 10 करोड़ तक	निदेशक प्रभारी (वित्त) द्वारा किए गए निवेशों पर एक पखवाड़ा रिपोर्ट सूचना

और टिप्पणियों हेतु सी ओ एम के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, यदि कोई हो । सीओएम के आकलन आगे निवेश करते समय ध्यान में रखे जाएंगे ।

• सीओएम	रूपए 10 करोड़ से ऊपर के निवेश या 91 दिनों से अधिक की अवधि	निवेश केवल बोर्ड / एमओसी /एमओएफ/ डीपीई द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के

के निवेश ।	अन्तर्गत आने वाले, बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में ही किए जाएंगे ।
* बोर्ड द्वारा 26.11.97 को हुई इसकी 485वीं बैठक में अनुमोदित	किसी भी समय बकाया निवेशों की सम्पूर्ण सीमा रूपए 700 करोड़ से अधिक नहीं होगी । बोर्ड की अगली बैठक में रिपोर्ट किया जाएगा ।

35.व्यापार, व्यवसाय, स्थापना, कार्मिक, बिक्रीकर, सीमाशुल्क, आयकर और अन्य सामान्य मामलो से संबंधित कानूनी कार्रवाई

क. इनकी संस्थापना / डिफेंड / कंपाउंड / परित्याग हेतु

महा प्रबंधक विधि प्रभाग या परामर्शदाता सहित	आयकर, कार्मिक और स्थापना को छोड़कर अन्य मामलों हेतु पूर्ण शक्तियाँ ।
मुख्य वित्त प्रबंधक विधि प्रभाग या परामर्शदाता सहित	आयकर मामलों हेतु पूर्ण शक्तियाँ
निदेशक(कार्मिक) विधि प्रभाग या परामर्शदाता सहित	कार्मिक और स्थापना मामलों हेतु पूर्ण शक्तियाँ

ख. अधिवक्ताओं / एटर्नीज / सॉलिसिटर्स / परामर्शदाताओं की नियुक्ति और परिवर्तन तथा व्यवसायिक प्रभारों और अन्य विधिक खर्चों को सुनिश्चित करना / भुगतान

महा प्रबंधक, विधि प्रभाग	पूर्ण शक्तियाँ	नियुक्ति निदेशक (वित्त) द्वारा निधारित की गयी शर्तों के अनुसार की जाएगी ।
		पैनल के अधिवक्ताओं को विधि शुल्क /प्रभार आदि का भुगतान कार्पोरेट कार्यालय द्वारा निधारित

वेतनमानों के अनुसार किया जाएगा तथा वरिष्ठ वकीलों को उनकी

शुल्क/प्रभारों की सामान्य दरों के अनुसार किया जाएगा ।
अधिवक्ताओं को विधि शुल्क / प्रभारों का भुगतान लागू दरों से अधिक की दरों पर निदेशक(विधि) और निदेशक (वित्त) द्वारा अनुमोदित के अनुसार होगा ।

ग. स्टॉम्प ड्यूटी, कोर्ट शुल्क आदि का भुगतान

मुख्य विपणन प्रबंधक, विधि प्रभाग	पूर्ण शक्तियाँ

घ. प्लीडिंग्स, विधि कागजातों और इससे संबंधित मामलों पर हस्ताक्षर करना और सत्यापन ।

मु.विप.प्रबं. / मु.वित्त प्रबं./	पूर्ण शक्तियाँ	
कम्पनी सचिव / विप.प्रबं./डीएलए	*पूर्ण शक्तियाँ केवल बांड और गारंटिया निष्पादित करने और हस्ताक्षर करने को छोड़कर	जहाँ डीएलए की तैनाती नहीं है वहाँ एएलए द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा ।

इसमें निम्नलिखित शक्तियाँ शामिल हैं –

- प्लेंट्स, लिखित विवरणिकाएँ, अपील ज्ञापन और अन्य प्लिडिंग्स, वकालतनामा, हलफनामा, विविध आवेदन और अन्य इसी प्रकार के आवेदनों पर हस्ताक्षर करना, सत्यापन करना, उद्घघोषणा करना और / या इनकी पुष्टि करना, संस्थापना से पहले नोटिस जारी करना तथा वादों, अपीलों, संशोधनों, समीक्षाओं, मध्यस्थताओं और/या अन्य कानूनी कार्रवाइयों को उनकी विलम्बता के दौरान हस्ताक्षर करना और जारी करना सहित, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित की जानी / डिफैंन किए जाने के लिए प्राधिकृत हैं ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत करारों, पट्टा प्रलेखों, लाइसेंस करारों, बंधक रखने की प्रक्रियाओं, मोर्टगेज प्रक्रियाओं, लियन पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, वचनपत्रों, गिरवी रखने और इसी प्रकार के अन्य कागजातों पर हस्ताक्षर करना और उनका निष्पादन करना तथा कोई अन्य कागजात या प्रलेख पर हस्ताक्षर करना, निष्पादन करना, जिन पर हस्ताक्षर करना, जिनका निष्पादन करना आकस्मिक और/या आवश्यक है।
- उन सभी विवरणिकाओं पर हस्ताक्षर और सत्यापन करना जो स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपेक्षित हैं ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा रखे गए या उनके नाम पर सरकारी प्रतिभूतियों और शीर्ष के प्रलेखों सहित सभी प्रतिभूतियों पर हस्ताक्षर करना और उनका निपटान करना ।
- कार्पोरेशन की ओर से कार्पोरेशन की बैंक गारंटियाँ या कोई अन्य दावों को रद्द करना या लागू करना ।
- उपर्युक्त से संबंधित सभी गतिविधियाँ करना ।

36.क. देश के भीतर यात्रा करना

निदेशक	पूर्ण शक्तियाँ	यात्रा टिकट के रद्दीकरण पर लगाए जाने वाले प्रभारों की मंजूरी की शक्तियों सहित मु.विप.प्रबं/म.प्र. / मु.म.प्र. हेतु अगले उच्चाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त
मुख्य विपणन प्रबंधक	उनको रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों हेतु हकदारी के अनुसार यात्रा और ठहरना	

किया जाए ।

ख. यात्रा के प्रकार / श्रेणी में छूट

निदेशक	पूर्ण शक्तियाँ

ग. होटलों में हकदारी के परे ठहरने हेतु छूट जहाँ एसटीसी के पैनल के होटल हैं

शाखाओं में शाखा प्रबंधक एवं कार्पोरेट कार्यालय में नयाचार प्रबंधक	उस क्षेत्र में जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	जब आवासीय व्यवस्था हकदारी के अनुसार उपलब्ध न हो ।

घ. होटलों में हकदारी के परे ठहरने हेतु छूट जहाँ एसटीसी के पैनल के होटल न हों

मु.म.प्रबंधक	पूर्ण शक्तियाँ	जब आवासीय व्यवस्था हकदारी के अनुसार उपलब्ध न हों ।

ड. 30 दिन से ऊपर के पूर्ण डीए की मंजूरी

निदेशक	पूर्ण शक्तियाँ

नोट – इस अनुसूची के भाग के रूप में टिप्पणियाँ संलग्न है ।

अनुसूची – ए (1) पर लागू टिप्पणियाँ

1. इस अनुसूची के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों और कार्पोरेशन के ज्ञापन और अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार और निर्धारित नियमों और विनियामवली तथा नीतियों और पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा ।
2. इस अनुसूची में दर्शायी गयी शक्तियों की सीमा प्रत्येक मामले में लागू होगी जब तक कि अन्यथा रूप से उल्लेख न किया जाए ।
3. * ये शक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसोसिएट वित्त की सही सहमति से प्रयोग की जाएंगी । वित्त के साथ मतभेद के मामले में मामला निदेशक वित्त द्वारा सुलझाया जाएगा । अध्यक्ष और निदेशक (वित्त) के मध्य मतभेद होने के मामले में अध्यक्ष मुद्दे को बोर्ड के समक्ष आपातकालीन मामलों में कार्योत्तर (एक्स पोस्ट फैक्टो) रेटिफिकेशन के निर्णय हेतु ला सकते हैं । इस प्रकार के मामलों में निदेशक वित्त के आंकलनों की एक वर्बेटिज्म प्रति भी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ।
4. इस अनुसूची के उद्देश्य हेतु एसोसिएट वित्त से तात्पर्य होगा एक वित्त प्रबंधक जो नीचे दर्शाए गए स्तर से कम नहीं होगा:-

सक्षम प्राधिकारी	**एसोसिएट वित्त**
अध्यक्ष / सीओएम	निदेशक(वित्त)
निदेशक	मुख्यमहाप्रबंधक(वित्त)
मुख्यमहाप्रबंधक/महा प्रबंधक	मुख्य वित्त प्रबंधक
शाखाएँ जहाँ वित्तीय कार्य वित्त प्रबंधक से नीचे के प्रबंधक के नेतृत्व में किए जाते हैं ।	वित्त कार्य के प्रमुख
अन्य	वित्त प्रबंधक

• परिपत्र संख्या 159 दिनांक 5.1.99 द्वारा संशोधित ।

वित्त प्रभाग में निर्धारित रेंक के प्रबंधकों के दौरे पर अनुपस्थिति या अवकाश के कारण अनुपस्थिति पर आवश्यक मामलों में वित्त की सहमति स्थानापन्न प्रबंधक (वित्त) यदि कोई हो, अथवा अगले निचले स्तर के प्रबंधक से ली जा सकती हैं, बशर्ते कि इस प्रकार के सभी मामले संबंधित वित्त प्रबंधक को उनकी वापसी पर उनके समक्ष ध्यान में ला दिए जाएँ ।

5. मुख्य महा प्रबंधक / महा प्रबंधक / मुख्य विपणन प्रबंधक/विपणन प्रबंधक में सभी प्रबंधक या समकक्ष पद के व्यक्ति शामिल होंगे ।

6. निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की गयी शक्तियों का प्रयोग उच्चतर प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है ।
7. एक प्रचालन प्रबंधक वहाँ पर भी वित्त की सलाह ले सकता है जहाँ वित्त की सहमति की आवश्यकता नहीं है । तथापि, इस प्रकार के मामलों में अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी प्रचालन प्रभाग की होगी ।
8. जहाँ निविदाएँ मांगी जाती हैं और निम्नतर / (उच्चतर) निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो उसका कारण दर्ज किया जाएगा तथा अगले उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाएगा जब तक कि खरीद नीति (बिक्री) अन्यथा रूप से कोई और प्रावधान नहीं करती ।
9. विदेशी कार्यालयों में तैनात किए गए प्रबंधकों की शक्तियाँ विदेशी कार्यालयों के मैनुअल में अलग से परिभाषित की गयी हों ।
10. इन शक्तियों में एलसी सहित सीएडी शर्तों दोनों पर संविदाओं का निष्पादन शामिल होगा । सामान्यतया भुगतान शर्तें अपरिहार्य एलसी हेतु प्रदान की जाएंगी। सीएडी शर्तों के मामले में निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

अधिशेष निधियों के निवेश हेतु मार्गनिर्देश

अधिशेष निधियों के निवेश अस्थाई या दीर्घावधि दोनों प्रकार के निम्नलिखित में किए जाएंगे:-

- सरकारी प्रतिभूति
- वाणिज्यिक बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सार्वजनिक क्षेत्र के कार्पोरेशन में सावधि जमा
- कमर्शियल बैकों में व्यापार और / या अन्य बिल
- आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स
- सरकारी कंपनियों और कार्पोरेशन में जमा
- यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिटें
- सांविधिक कार्पोरेशन और सरकारी कम्पनियों द्वारा जारी बांड

बकाया निवेश की सम्पूर्ण सीमा किसी समय रूपए 700 करोड़ से अधिक न हो।

निवेश समिति अध्यक्ष द्वारा बनाई जाएगी जिसमें निदेशक वित्त सहित 2 निदेशक होंगे ।

एक तिमाही विवरणिका निवेश के विवरण दर्शाती हुए बोर्ड के समकक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

संशोधनों का संदर्भ

1. परिपत्र संख्या 138 दिनांक 21.3.1997 द्वारा संशोधित
2. परिपत्र संख्या 118 दिनांक 20.6.1995 द्वारा संशोधित
3. परिपत्र संख्या 134 दिनांक 6.8.1996 द्वारा संशोधित
4. परिपत्र संख्या 153 दिनांक 12.11.1997 द्वारा संशोधित
5. परिपत्र संख्या 148 दिनांक 13.8.1997 द्वारा संशोधित
6. परिपत्र संख्या 158 दिनांक 24.12.1998 द्वारा संशोधित
7. परिपत्र संख्या 159 दिनांक 5.1.1999 द्वारा संशोधित
8. परिपत्र संख्या 201 दिनांक 2.9.2011 द्वारा संशोधित
9. परिपत्र संख्या 203 दिनांक 20.12.2011 द्वारा संशोधित

हस्ताक्षर

(ए.के.गुप्ता)
कम्पनी सचिव